



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082022-237813
CG-DL-E-02082022-237813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3441]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3441]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का. आ. 3606(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2079(अ) दिनांक 10.08.2009 व का.आ. 2971(अ) दिनांक 23.11.2009, जो भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 10.08.2009 व 23.11.2009 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्निलिखित संशोधन करती हैं,

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में,-

“भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी सम्पदा, फरीदाबाद, हरियाणा” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद एवं जिला राजस्व अधिकारी पलवल” दोनों जिले के लिए क्रमशः फरीदाबाद एवं पलवल शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना का.आ. 2079(अ) दिनांक 10.08.2009 व का.आ. 2971(अ) दिनांक 23.11.2009, द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 10.08.2009 व 23.11.2009 को प्रकाशित की गई थी।

CALA में परिवर्तन जैसा की हरियाणा सरकार का आदेश क्रमांक 5954-E/2-2017/161 दिनांक 09.01.2018 के अनुसरण में भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी सम्पदा, फरीदाबाद, द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3272-3276 दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से अवगत कराया।

केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2079(अ) दिनांक 10.08.2009 व का.आ. 2971(अ) दिनांक 23.11.2009, जो भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 10.08.2009 व 23.11.2009 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्निलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:- उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में, - “भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी सम्पदा, फरीदाबाद, हरियाणा” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद एवं जिला राजस्व अधिकारी पलवल” दोनों जिले के लिए क्रमशः फरीदाबाद एवं पलवल शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे; व्याख्या: CALA में परिवर्तन जैसा की हरियाणा सरकार का आदेश क्रमांक 5954-E/2-2017/161 दिनांक 09.01.2018 के अनुसरण में भूमि अर्जन अधिकारी, शहरी सम्पदा, फरीदाबाद, द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3272-3276 दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से अवगत कराया।

[फा.सं. भा.रा.रा.प्रा./सी.एम.यू.एमटीआर./छ:लेन/एल.ए./न.III/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st August, 2022

S. O. 3606(E).— In exercise of Power confirmed by clause (a) of section 3 of National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2079 (E) dated 10.08.2009 and S.O. 2971 (E) dated 23.11.2009, Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 10th August 2009 and 23rd November 2009 - namely: -

In the Preamble to the said notification—

For the words and figures “**Land Acquisition Officer, Urban Estate, Faridabad, Haryana**”, the words and figures “**District Revenue Officer, Faridabad for district Faridabad and District Revenue Officer, Palwal for district Palwal**”, shall be substituted.

Footnote:—The Principal Notification was published vide S.O. 2079 (E) dated 10.08.2009 and S.O. 2971 (E) dated 23.11.2009, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 10th August 2009 and 23rd November 2009.

Change in CALA in pursuant to Haryana Govt. order no. Endst. No. 5954-E-2-2017/161 dt.09.01.2018 conveyed by Land Acquisition Officer, Urban Estate, Faridabad, Haryana vide his Letter.No. 3272-3276 dt.03.06.2022.

In exercise of Power confirmed by clause (a) of section 3 of National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the Notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O.2079 (E) dt. 10.08.2009 and S.O.2971(E) dt. 23.11.2009, Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dt. 10.08.2009 and 23.11.2009 namely: - In the Preamble to the said notification” For the words and figures Land Acquisition Officer, Urban Estate, Faridabad, Haryana, the words and figures District Revenue Officer, Faridabad for district Faridabad and District Revenue Officer, Palwal for district Palwal, shall be substituted. Explanation:- Change in CALA in pursuant to Haryana Govt. order no. Endst. No. 5954-E-2-2017/161 dt.09.01.2018 conveyed by Land Acquisition Officer, Urban Estate, Faridabad, Haryana vide his Letter.No. 3272-3276 dt.03.06.2022.

[F. No. NHAI/CMU/MTR/Six laning/LA.III/2022]

RAJESH GUPTA, Director